क्रम-संख्या--116

रजि0 नं0 एल.डब्लू./एन.पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

वैशाख 10, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 994/सत्रह-वि-1--1(क) 1-2001

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2001 के रूप में उद्देश्य और कारण के साथ सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:--

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह 27 दिसम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2000 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1997) द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972) में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसम्बर, 1998 तक या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का संगठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मण्डी समितियों के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट ग्यारह सदस्यीय तदर्थ समिति द्वारा और ऐसी तदर्थ समिति के नाम निर्देशन तक मण्डी समितियों, उनके सभापति और उप सभापति के सभी अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जायेगा। उक्त अवधि को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा 31 दिसम्बर, 1998 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2000 किया गया था। चूंकि मण्डी समितियों का निर्वाचन नहीं कराया जा सका और उक्त व्यवस्था 31 दिसम्बर, 2000 को समाप्त होने वाली थी अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि वर्ष 1972 के उक्त अधिनियम में संशोधन करके उक्त व्यवस्था की अवधि को 31 दिसम्बर, 2001 तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2000) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 994(2)/XVII-V-1—1(KA) 1-2001

Dated Lucknow, April 30, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Uttadan Mandi Samiti (Alpakalik Viavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2001) as passed by the

Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 2001 alongwith the Statment of Objects and Reasons thereto :—

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2001

(U. P. Act no. 10 of 2001)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Upadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 27, 2000.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 7 of 1972

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words and figures "till December 31, 2000" the words and figures "till December 31, 2001" shall be *substituted*.

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 17 of 2000

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1972 (U. P. Act no. 7 of 1972) was amended by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (U. P. Act no. 5 of 1997) to provide that till December 31, 1998 or until the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the Utttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 whichever is earlier, all powers, funcions and duties of the Market Committees shall be exercised, performed and discharged by an eleven member *ad-hoc* Committee to be nominated by the State Government and until the nomination of such *ad-hoc* Committee all powers, functions and duties of a Market Committee, its Chairman and Vice-Chairman shall be exercised, performed and discharged by the District Magistrate. The said period was extended from December 31, 1998 to December 31, 2000 by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999. Since the said arrangement was to expire on December 31, 2000 and the election of Market Committees could not be held, it was decided to extend the period of the said arrangement till December 31, 2001 by making amendment in the said Adhiniyam of 1972.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the said decision, the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2000 (U. P. Ordinance no. 18 of 2000) was promulgated by the Governor on December 27, 2000.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

बी०एस०यू०पी०-ए० डी० 24 सा० विधा०--(205)—2001 -850 (नेक०) ।